www.dhyeyaias.com

सितम्बर 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 ईट राइट इंडिया कार्यक्रम
स्वस्थ आहार के लिए एक अभियान

2 कोविड–19 टीकाकरण प्रबंधन : समय की माँग

3 भारत का कौशल विकास पहल और इसकी चुनौतियाँ

4 पीएम केयर्स फंड : पारदर्शिता से संबंधित चिंताएं

5 यूएई–इजरायल समझौता : मध्य–पूर्व में बदलाव का संकेत

6 टैक्सपेयर चार्टर : टैक्सपेयर के विश्वास को बढ़ाने में सहायक

7 कृषि अवसंरचना कोष : कृषि बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम

ध्येयIAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

सितम्बर 2020 | अंक 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- ईट राइट इंडिया कार्यक्रम : स्वस्थ आहार के लिए एक अभियान
- कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन : समय की माँग
- भारत का कौशल विकास पहल और इसकी चुनौतियाँ
- पीएम केयर्स फंड : पारदर्शिता से संबंधित चिंताएं
- यूएई-इजरायल समझौता : मध्य-पूर्व में बदलाव का संकेत
- टैक्सपेयर चार्टर : टैक्सपेयर के विश्वास को बढ़ाने में सहायक
- कृषि अवसंरचना कोष : कृषि बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 ईट राइट इंडिया कार्यक्रम : स्वस्थ आहार के लिए एक अभियान

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि उसे ईट राइट इंडिया अभियान के लिये 'रॉकफेलर फाउंडेशन' से भोजन के प्रेरक दृष्टिकोण का सम्मान मिला है। एफएसएसएआई ने कहा कि उसे नौ अन्य प्रतिभागियों के साथ फूड सिस्टम विजन प्राइज से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि द रॉकफेलर फाउंडेशन, सेकंड म्यूज और ओपनियो द्वारा घोषित यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों के लिये है, जिन्होंने 2050 तक तैयार होने योग्य पौष्टिक भोजन प्रणाली का प्रेरणादायक दृष्टिकोण विकसित किया है। एफएसएसएआई ने कहा कि उसका ईट राइट इंडिया अभियान खाद्य क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों का सामुहिक प्रयास है।

ईट राइट इंडिया अभियान क्या है?

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की प्रस्तावना में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से भारत में लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, एफएसएसएआई ने ईट राइट इंडिया अभियान के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया है।

- इस अभियान का ध्येय वाक्य "सही भोजन, बेहतर जीवन" इसके महत्व को दर्शाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए अच्छा है, ईट राइट इंडिया विनियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगी और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है।
- इसके अलावा, यह सभी हितधारकों सरकार, खाद्य व्यवसायों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञों और पेशेवरों, विकास एजेंसियों और नागरिकों की सामूहिक कार्रवाई का निर्माण करता है।
- ईट राइट इंडिया अभियान में कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य मंत्रालयों के भोजन-संबंधी जनादेशों को एक साथ लाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

ईट राइट इंडिया के तीन प्रमुख विषय

- ईट राइट इंडिया अभियान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ भारत मिशन आदि के साथ जुड़ा हुआ है। यह अभियान तीन प्रमुख विषयों पर आधारित है- ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल।
- **ईट सेफ:** व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता सुनिश्चित करना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में स्वास्थ्यकर प्रथाओं को अपनाना, मिलावट को समाप्त करना, भोजन में विषाक्त और दूषित पदार्थों को कम करना और प्रसंस्करण तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं में खाद्य खतरों को नियंत्रित करना।
- **ईट हेल्दी:** आहार विविधता और संतुलित आहार को बढ़ावा देना, भोजन से विषाक्त औद्योगिक ट्रांस-वसा को समाप्त करना और

नमक, चीनी तथा संतृप्त वसा की खपत को कम करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना।

- **ईट सस्टेनेबल:** स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, भोजन की हानि और भोजन की बर्बादी को रोकना, खाद्य मूल्य शृंखला में पानी का संरक्षण, खाद्य उत्पादन और संरक्षण में रसायनों के उपयोग को कम करना, और सुरक्षित तथा टिकाऊ पैकेजिंग के उपयोग को बढ़ावा देना।

ईट राइट इंडिया अभियान का महत्व

- भारत में खाद्य जनित बीमारियों जैसे अल्पपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय से संबंधी गैर- संचारी रोग आदि के उच्च बोझ के संदर्भ में सुरक्षित खाद्य पदार्थ और स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण हैं।
- जहां एक ओर 196 मिलियन भारतीय कुपोषित हैं, वहीं 135 मिलियन अधिक वजन या गैर-संचारी रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह के खतरे में हैं।
- इसके अलावा 2013 की तुलना में 2030 में खाद्य जनित बीमारियों के मामलों की संख्या 100 मिलियन से बढ़कर 150-177 मिलियन हो जाने की उम्मीद है।
- ऐसे में ईट राइट इंडिया अभियान देश में सभी के लिए निवारक स्वास्थ्य पर एक आंदोलन की आवश्यकता को पूरा करता है।
- भारत की खाद्य प्रणाली काफी विकसित हुई है। इसके बावजूद, हम अभी भी लगभग 10% कम कैलोरी का उपभोग करते हैं, हमारे आहार में प्रोटीन और लोहे जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है।
- असुरक्षित खाने की आदतों के कारण हर साल लगभग 5 लाख लोगो की मौत हो जाती है। लेकिन ईट राइट इंडिया जैसे अभियान भविष्य में इस प्रवृत्ति को बदलने की क्षमता रखते हैं।
- रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा मिली मान्यता से इस कार्यक्रम को वैश्विक पहचान मिली है। इस अभियान के आधार पर अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देश भी अपने यहा खाद्य प्रणालियों इसके समान ही परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं।
- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में सामूहिक ध्यान आकर्षित कर सकता है।

चुनौतियाँ

- भारत में लगभग 195 मिलियन अल्पपोषित लोग रहते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व की एक चौथाई अल्प पोषित आबादी भारत में ही बसती है। भारत में 47 मिलियन या हर 10 में से 4 बच्चों में पूर्ण मानव क्षमता नहीं है, जिसका कारण गंभीर अल्प पोषण या स्टंटिंग है। स्टंटिंग से सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, स्कूल में बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, आय पर असर होता है और गंभीर बीमारियों की आशंका होती है। इसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ता है, क्योंकि कुपोषित बालिकाएं और महिलाएं अक्सर कमजोर शिशुओं को जन्म देती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में बच्चों और किशोरों में वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या भी बढ़ी है जिसके कारण वयस्क होने पर उन्हें आजीवन गैर संचारी रोग होने का खतरा होता है।
- सरकार व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित करती है लेकिन इनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। महिलाएं और बालिकाएं विशेष रूप से नुकसान में रहती हैं। देश खाद्यान्न के लिहाज से आत्मनिर्भर तो हो गया है लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
- भारत ने अल्प पोषण और कुपोषण की दरों में तेजी से सुधार किया है। 2006 से 2016 के दौरान पांच वर्ष से छोटे बच्चों में स्टंटिंग की दर 48% से घटकर 38% हो गई। इसके बावजूद विश्व के जिन देशों में सर्वाधिक अल्प पोषित बच्चे हैं, उनमें से एक भारत भी है। अल्प पोषण से बच्चों का स्वास्थ्य और विकास तथा स्कूलों में उनका प्रदर्शन एवं वयस्कों की उत्पादकता अत्यंत प्रभावित होती है।

आगे की राह

- निष्कर्षत: ईट राइट इंडिया जैसे अभियान भोजन की शुद्धता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं, साथ ही लोगों के बीच साफ-सुथरे भोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करते है। ईट राइट इंडिया के साथ-साथ अब ईट राइट / होम, ईट राइट / स्कूल और ईट राइट / कैंपस की संस्कृति को लाने का ये समय सही है।
- भारत मे पोषण की चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चत करने के लिए कि कमजोर वर्ग पिछड़ नहीं रहे,भारत सरकार पोषण सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही घरों में आहार और देखभाल के तौर-तरीकों में भी सुधार करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- दुनिया भर में खाद्य प्रणालियाँ अस्वास्थ्यकर आहार प्रदान कर रही हैं, जिससे मृत्यु और बीमारी, कुपोषण और बढ़ते मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना आवश्यक है जहां सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

प्र. ईट राइट इंडिया अभियान का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके सम्मुख आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

02 कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन : समय की माँग

चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, COVID-19 के लिए 40 से अधिक देशों द्वारा टीके का विकास किया जा रहा है। बहरहाल, कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी का एलान 11 अगस्त, 2020 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है।
- इसके अतिरिक्त चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। भारत में भी स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। किन्तु जानकारों का मानना है कि टीका बना लेने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, टीकाकरण।

टीका के विकास में लगने वाला समय

- टीका विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कभी-कभी 10-15 वर्ष लग जाते हैं। टीका विकास और परीक्षण में प्रायः चरणों के एक मानकीकृत समुच्चय का अनुपालन किया जाता है।
- 19वीं शताब्दी के अंत तक, मनुष्यों के लिए अनेक टीकों का विकास किया गया। ये थे- स्मॉलपॉक्स, रेबीज, प्लेग, हैजा, और टाइफाइड के टीके। हालांकि, टीके निर्माण का कोई नियमन मौजूद नहीं था। वर्षों तक, अलग-अलग देशों में अलग-अलग विधियों का विकास हुआ ताकि सुनिश्चित हो सके कि टीकों का सुरक्षित रूप से विकास, निर्माण और उपयोग किया जाता है। फिर जानवरों और मनुष्यों में परीक्षण के लिए स्थिर और अत्यधिक शुद्ध उत्पाद बनाने के लिए एक विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अंत में टीका बाजार में उतारा जाता है। COVID-19 के टीके का जानवरों में परीक्षण के बिना ही मनुष्यों में तेजी से परीक्षण किया जा रहा है।

वैक्सीन राष्ट्रवाद से बढ़ती चिंताएँ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुख्य वैज्ञानिक ने COVID-19 के टीके के विकास और वितरण के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बजाय एक बहुपक्षीय या वैश्विक दृष्टिकोण की अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- वस्तुतः जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों या अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद नाम दिया जाता है।
- ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई देश वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध होने से पहले ही उन्हें अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए एक तरह से रिजर्व करने की कोशिश करता है। इसके लिए संबंधित देश की सरकार वैक्सीन उत्पादक के साथ उत्पादन से पहले ही खरीद का समझौता (Pre-purchase Agreement) कर लेती है।
- कई देशों में सरकारी और निजी स्तर पर कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। कुछ का शुरुआती स्तर पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है तो किसी का फाइनल स्टेज में है। लेकिन अभी से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे अमीर देश वैक्सीन उत्पादकों के साथ प्री-परचेज अग्रीमेंट कर चुके हैं।
- ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह के प्री-परचेज अग्रीमेंट्स से कोरोना की वैक्सीन सबकी पहुंच से बाहर हो सकती है। इस तरह के पूर्व समझौते कोरोना की वैक्सीन को गरीब देशों की पहुंच से दूर कर देंगे साथ ही इनकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी इन्हें खरीद भी नहीं पाएंगे।

टीका विकास में भारत की प्रगति

- विश्व स्तर पर, असंख्य टीकों का परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा कि कोविड-19 टीके का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित दो टीकों के परीक्षण की कवायद में लगभग एक हजार स्वयंसेवी शामिल हुए हैं । इनमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर विकसित किया है, जबकि दूसरा टीका जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने तैयार किया है।

- आईसीएमआर ने कहा कि दो भारतीय टीके हैं जिनका चूहों और खरगोशों में सफल अध्ययन हो चुका है और यह डेटा डीसीजीआई को सौंपा गया था जिसके बाद दोनों टीकों को इस महीने के शुरू में शुरुआती चरण के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई। भारत दुनिया में सबसे बड़े टीका निर्माताओं में से एक है, इसलिए कोरोना वायरस प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना देश का ''नैतिक दायित्व'' है।
- भारत में इस समय ज्यादातर सक्रिय मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों तक ही सीमित हैं। कई अन्य राज्यों में मामले कुछ जिलों तक ही सीमित हैं। संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण देश में परीक्षणों की संख्या में तेजी आना है। आईसीएमआर ने कहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने के आसार हैं, जिससे रिकवरी दर तेज हो सकती है।

भारत में टीका वितरण की संभावना

- राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ EPI (Expanded Program of Immunization) द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे 1985 में बदलकर Universal Immunization Program (UIP) करके सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू कर दिया गया। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करने, लाभार्थियों की संख्या, टीकाकरण सत्रों के आयोजन और भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता को कवर करने के संदर्भ में विश्व का सबसे बडा कार्यक्रम है।
- चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार टीकाकरण के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी कई जिले ऐसे हैं, जहां टीकाकरण से छूट गए बच्चों की भारी संख्या है। ऐसे में सरकार को सुनिश्चत करना होगा कि COVID-19 का टीका भारत के पिछड़े एवं दुर्गम इलाकों तक आसानी से पहुंचे।
- टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जाता है। लेकिन आने वाली COVID-19 वैक्सीन सभी आयु समूहों के लिए होगी। अतः इसके लिए नए तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें जरूरत के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित हो।

आगे की राह

- भारत अनुसंधान और विकास के अलावा टीकों के विनिर्माण और वितरण में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम जोखिम वाले देशों में टीकाकरण बाद में सुनिश्चित करना चाहिए साथ ही ज्यादा खतरे वाले देशों में टीकाकरण पहले सुनिश्चित करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान टीकों के समान पहुंच के लिए एक रूपरेखा तैयार कर अगले महामारी से बचाव के लिए पहले बातचीत कर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण कारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. टीका बना लेने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है टीकाकरण। समीक्षा करें।

03 भारत का कौशल विकास पहल और इसकी चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) और निजी प्रशिक्षण केंद्र, कौशल प्रशिक्षण का कार्य करने वाले संस्थान हैं। इन संस्थानों का संचालन कोविड 19 महामारी के कारण बंद पड़ा है। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण से वंचित रहना पड़ रहा है और उनके रोजगार की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।
- कौशल प्रशिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ साझेदारी की है। लेकिन, कौशल प्रशिक्षण का उद्योगों के साथ जुड़ाव न होने की समस्या अभी भी संरचनात्मक रूप में विद्यमान है।

परिचय

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना का उद्देश्य देश में कुशल श्रमशक्ति की जरूरत को पूरा करना है । वर्तमान में देश भर में 15,000 आईटीआई हैं और इनमें 11,000 आईटीआई निजी क्षेत्र से संबद्ध हैं।
- 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), और निजी अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जो सालाना 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, कोविड 19 के कारण मार्च से बंद हैं।
- ये संस्थान अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो एक महीने से दो साल तक के होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में, स्किल (skill), रि-स्किल और अपस्किल (upskill)' के आह्वान के साथ, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के महत्व को और भी अधिक उजागर किया गया है।
- कौशल भारत (Skill India) केंद्र सरकार (Central Government) की एक पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इस पहल की शुरुआत युवाओं के कौशल क्षमता को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
- यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक कुशलता उपलब्ध कराना है। साथ ही भविष्य में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने में कुशल युवाओं की अहम भूमिका के महत्व से अवगत कराना है।

कौशल प्रशिक्षण और उससे जुड़ी चुनौतियाँ

- **उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का न होना:** आमतौर पर यह देखा जाता है की कौशल प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम उद्योगों के अनुरूप नहीं है या फिर कौशल प्राप्त होने का सिर्फ प्रमाणपत्र ही है, वास्तविक कौशल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप नौकरी मिल जाती है लेकिन यह कौशल न होने के कारण टिकती नहीं है। आंकड़ों के अनुसार केवल 8.5% लोग ही अपनी नौकरी जारी रख पाते हैं। इसके अलावा कोविड 19 महामारी ने उद्योग के संचालन के स्वरूप में परिवर्तन किया है, जिससे आवश्यक कौशल और कौशल पाठ्यक्रम के बीच की खाई और चौड़ी होने की संभावना है।
- **व्यावहारिक प्रशिक्षण का अभाव:** आमतौर पर कौशल प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप जैसे व्यावहारिक या प्रयोगिक प्रशिक्षण नहीं लेते हैं जिससे उनका कौशल प्रशिक्षण अपूर्ण रह जाता है। कोविड-19 ने इसमें वृद्धि करने का काम किया है।

- **अप्रभावी सेक्टर स्किल काउंसिल:** उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण में सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) काफी हद तक अप्रभावी रहे हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कोविड महामारी की अनिश्चितताओं के कारण नियोक्ताओं ने रोजगार देना कम कर दिया है, ऐसे में कौशल प्रशिक्षण के बाद भी कौशल की कमी रोजगार की दर को और प्रभावित करेगी।

भारत में कौशलीकरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपाय

कोरोना महामारी से उपजे संकट को भारत में कौशलीकरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अवसर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण में अंतराल को कम करने के लिए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- **अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को मजबूत करना:** आरंभ में प्रशिक्षु 1-3 साल की अवधि के लिए नौकरी के साथ साथ कौशल भी करते हैं। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) के माध्यम से इसका समर्थन करती है और 25% वजीफा (stipend) देती है। ऐसे अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को प्रशिक्षुता पखवाड़ा जैसे जागरूकता अभियानों के माध्यम से मजबूत करना किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, नौकरी और प्रशिक्षुता के लिए चुने गए प्रशिक्षुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए। इससे कौशलीकरण पर आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **प्रशिक्षण की एक दोहरी प्रणाली:** सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'कक्षा और उद्योग प्रशिक्षण दोनों घटक होने चाहिए। ऐसे दोहरे प्रशिक्षण' को उद्योग के साथ साझेदारी तथा कौशल पाठ्यक्रम डिजाइन और मूल्यांकन में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाकर प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- 2019 के बाद से, हरियाणा में 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने 40 उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर ऐसे दोहरे प्रशिक्षण को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके चलते हरियाणा में इन उद्योगों से 30% प्रशिक्षुओं को अग्रिम रोजगार ऑफर दिया गया है।
- **कौशल-नौकरी डाटाबेस:** कुशल श्रमिकों के डाटा को उद्योगों के लिए सुलभ बनाने के लिए श्रमिकों की सहमति और डेटा की सुरक्षा की उचित व्यवस्था के साथ कौशल और नौकरी का एक डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। वर्तमान में, ऐसे डेटाबेस या तो उपलब्ध नहीं है या फिर धुंधला है। इन आंकड़ों को उद्योगों के अनुरूप एकीकृत करने की आवश्यकता है। हाल ही में शुरू किया गया असीम पोर्टल (Atmanirbhar skilled employee employer mapping) कौशल-नौकरी मिलान के लिए सही दिशा में एक कदम है।
- **क्षमता का पूरा उपयोग करने की जरूरत:** आईटीआई में सीटिंग क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये, इसके लिए सीटों को खाली रखने की बजाय ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता का आकलन करे और संसाधनों को उस दिशा में मोड़ें। इसके अतिरिक्त अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बहुत संभावनाएं हैं लेकिन उसका दोहन नहीं किया गया है। इसके लिए राज्य सरकारों और निजी उद्योगों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने के लिए व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए।

आगे की राह

- इस वर्ष की शुरुआत में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में 2030 तक 29 मिलियन कौशलीकृत श्रमिकों की कमी होगी। यह कोविड महामारी के पूर्व का अनुमान है। इसलिए यदि महामारी के दौरान स्किलिंग इकोसिस्टम तीव्रता और दूरदर्शिता के साथ कार्य नहीं करेगा तो इस संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकारों के अपेक्षित सहयोग से मौजूदा सरकारी आईटीआईज को मॉडल आईटीआईज में अपग्रेड करने की योजना बनाना चाहिए। अत: केवल उत्तरदायी नीतियों और कौशल भारत मिशन में साहसिक सुधार के द्वारा भारत विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की उम्मीद कर सकता हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. भारत में कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

04 पीएम केयर्स फंड : पारदर्शिता से संबंधित चिंताएं

चर्चा का कारण

- हाल ही में पीएम केयर्स फंड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
- ध्यातव्य है कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उच्चत्तम न्यायालय में एक याचिका में केंद्र सरकार को पीएम-केयर्स फंड में प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund-NDRF) में स्थानांतरित करने हेतु निर्देश देने की मांग की गयी थी।

पीएम केयर फंड

- भारत में COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु एक सार्वजनिक धर्माथ ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गयी थी इसका नाम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि: पीएम केयर्स फंड है।
- पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट प्राप्त है। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80जी के तहत मिली है।
- इसके अलावा पीएम केयर में दिए गए दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा।
- PM CARES फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। यह विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान को स्वीकार करने के लिए PM CARES फंड को सक्षम बनाता है।
- यह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के संबंध में सुसंगत है। पीएमएनआरएफ को 2011 के बाद एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है।

प्रधानमंत्री राहत कोष का उद्देश्य

- इसमें किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता, या किसी अन्य प्रकार की आपातकालीन आपदा या संकट से निपटने के लिए मानव निर्मित या प्राकृतिक निर्माण या स्वास्थ्य सेवा के उन्नयन, या फार्मास्युटिकल सुविधाओं सहित अन्य आवश्यक अवसंरचना का कार्य करना या सहायता करना, प्रासंगिक अनुसंधान, या किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए धन देना शामिल है।
- इसके अलावा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, धन के अनुदान या ऐसे अन्य कदम उठाये जायेंगे जो ट्रस्टी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।
- इस कोष में व्यक्तियों/संगठनों से पूर्ण स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इस फंड का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा।

ट्रस्ट का गठन

- प्रधानमंत्री, पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं।
- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में नामित करने की शक्ति होगी, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।
- इसके अलावा ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने मई 2020 में पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रूपए के धन को खर्च करने की घोषणा की थी इस धन को स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने, पीपीई किट व मास्क आदि का उत्पादन बढ़ाने रिसर्च व डवलपमेंट आदि में खर्च किया जायेगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

- पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है।
- इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF)

- एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
- इस कोष का गठन किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में 'आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए' किया गया है।
- इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) NDRF के खातों का ऑडिट करते हैं।
- राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं।
- सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट्स से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (N) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया गया है।

पीएम केयर्स फंड से संबंधित चिंताएं

- कुछ विद्वानों का कहना है कि जब पीएम केयर्स फंड की ही तरह पहले से ही एक फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष था तो उसी तरह के एक नये फंड स्थापना की आवश्यकता नहीं थी।
- इस संदर्भ में भारत सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है अत: इस फंड के संबंध आरटीआई में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी।
- इससे कुछ लोग इस फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे है, क्योंकि इस फंड में भारत सरकार अपने बजट के द्वारा कोई भी राशी आवंटित नहीं करती है। इसलिए इस फंड का कैग द्वारा ऑडिट भी नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि कैग उसी फंड का ऑडिट करती है जिसमें बजट के द्वारा धन आवंटन किया जाता है।

RTI के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' क्या है?

- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अनुसार, "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ किसी भी प्राधिकरण, या निकाय, या संस्था से है, जो सरकार द्वारा स्व-स्थापित या गठित की गई हो किसी
    - संविधान द्वारा या उसके अधीन
    - संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से
    - राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से
    - तात्कालिक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या अध्यादेश से
- सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के स्वामित्व में नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं।

पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में

- विशेषज्ञ पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण, आरटीआई कानून की धारा 2(h) के तहत होने के लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं-
    - भारत के प्रधानमंत्री इस फंड की कमेटी के अध्यक्ष हैं और फंड की स्थापना भारत सरकार द्वारा ही की गई है।
    - कई सरकारी कर्मचारीयों का अनिवार्य रूप से एक महीने का वेतन काटकर पीएम केयर्स फंड डाला गया है।
    - इस फंड में जनता का पैसा है।
    - इस फंड के तहत यदि कोई कंपनी दान देता है तो उसकी गणना सीएसआर में होती है।
    - कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण माना है।
    - पीएम केयर्स फंड की ही तरह पीएमएनआरएफ है जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (h) के तहत आती है।

पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- पीएम केयर्स फंड की चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अपने निर्णय में निम्नलिखित बातें कही हैं-
    - पीएम केयर्स फंड की स्थापना सुसंगता व आवश्यकता के अनुरूप है।
    - पीएम केयर्स फंड के धन को एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) में स्थानांतरित करने का कोई तर्क नहीं बनता है क्योंकि दोनों कोष पूरी तरह से अलग अलग उद्देश्यों के लिये हैं।
    - पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और इसमें स्वैच्छिक अनुदान आता है इसलिए पीएम केयर्स फंड की कैग द्वारा ऑडिट किये जाने की भी जरूरत नहीं है।
    - न्यायालय ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(इ) के अनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्वैच्छिक अंशदान/अनुदान करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है।"
    - COVID-19 महामारी से निपटने हेतु एक नए राष्ट्रीय आपदा कार्ययोजना की जरूरत नहीं है क्योंकि महामारी से निपटने में सरकार ने उचित कदम उठाये हैं।

निष्कर्ष

- COVID-19 महामारी ने सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के लगभग सभी पहलुओं पर अपना नकरात्मक प्रभाव डाला है जिससे निपटने हेतु पीएम केयर्स फंड एक सराहनीय कदम है।
- सरकार को इस फंड में और पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि सुशासन के क्षेत्र में जवाबदेहिता कायम हो सके और लोगों का विश्वास बहाल हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. पीएम केयर्स फंड की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के साथ साथ इससे संबंधित चुनौतियों का भी निरीक्षण करें।

05 यूएई–इजरायल समझौता : मध्य–पूर्व में बदलाव का संकेत

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बाद अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि अब तक इजरायल का किसी भी खाड़ी देश के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहा है। हालांकि ईरान को लेकर खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब, यूएई इजरायल के साथ गैर आधिकारिक संपर्क में बने रहते हैं। इस शांति समझौते को अब्राहम समझौते (Abraham Accord) का नाम दिया गया है।

परिचय

- 1948 में इजरायल बनने के बाद से यह सिर्फ तीसरा इजरायल-अरब शांति समझौता है। इजरायल के जॉर्डन और मिस्र को छोड़कर खाड़ी के अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। इससे पहले इजरायल ने 1979 में मिस्र के साथ और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, आधिकारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति के बावजूद, इजरायल व्यापार जैसे मुद्दों के संबंध में अपने पड़ोसियों के साथ संलग्न रहा है।
- जानकारों का मानना है कि वर्ष 1971 से संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजरायल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता था। दरअसल, वेस्ट बैंक में बनाई गई यहूदी बस्तियों को लेकर इसरायल और फलस्तीनियों के बीच विवाद बना रहा है। अधिकतर इसरायली बस्तियाँ 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गई, लेकिन बीते 20 सालों में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। वहीं फलस्तीनी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गजा पट्टी को मिलाकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं।

समझौते के प्रमुख बिन्दु

- इस समझौते के बाद फिलहाल इजरायल ने वेस्ट बैंक इलाके में बस्तियां बसाने की योजना (वेस्ट बैंक पर दावा छोड़ने की बात नहीं कही गई है) टाल दी है।
- अमेरिका, इजरायल और यूएई की तरफ से जारी किया गए संयुक्त बयान के मुताबिक इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल आने वाले हफ्तों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे जिनमें- निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार और अन्य मुद्दे शामिल होंगे।
- संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि इससे अरब और इजरायल के संबंध निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे जिससे तनाव कम होगा और परिवर्तन की नई सकारात्मक ऊर्जा बनेगी।
- संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया है कि इजरायल और यूएई आने वाले वक्त में भी जन-संपर्क संबंधों (people-to-people relations) को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे ।
- संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया है कि इजरायल अरब और मुस्लिम दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। अमेरिका और यूएई इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता करेंगे।
- इजरायल ने यह भी कहा कि वह यूएई की कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देश अबुधाबी से तेल अवीव तक फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे। इससे यूएई के मुसलमान यरुशलम के ओल्ड सिटी में अल-अक्सा मस्जिद जा सकेंगे।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- **अमेरिका:** इस समझौते को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनयिक जीत के रूप में माना जा रहा है। ट्रम्प ने समझौते से ऐलान से पहले इसे पुख्ता तौर पर स्थापित करने के लिए फोन पर एक साथ नेतन्याहू और शेख जायेद से बातचीत की थी।
- **मिस्र और जॉर्डन:** मिस्र और जॉर्डन दोनों ने इस समझौते का समर्थन किया है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने इसका स्वागत किया है, जबकि जॉर्डन ने कहा कि यह समझौता शांति वार्ता को फिर से शुरू करने में मदद कर सकता है।
- **ब्रिटेन:** ब्रिटेन ने इस समझौते का समर्थन करते हुए कहा है कि इसरायल-यूएई के इस समझौते से मध्य-पूर्व में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी।
- **फलस्तीन:** फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि यह डील फलस्तीन के साथ एक धोखा है। 2007 में इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर नियंत्रण से अब तक

आतंकवादी गुट हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया है। हमास ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा है कि यह सौदा फिलिस्तीनीयों के हित में नहीं है।

- **भारत:** भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है। समझौते के पीछे छिपी बातें भारत के हक में हैं। यूएई और इजरायल दोनों भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसे में दोनों देशों की मित्रता इस इलाके में भारत को मजबूत बनाएगा।
- **ईरान एवं तुर्की:** ईरान ने इस समझौते को शर्मनाक और खतरनाक कदम बताया है। वहीं तुर्की ने तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने की बात कही है।

प्रभाव

- यूएई और इजरायल का समझौता हर लिहाज से कारगर साबित हो सकता है। फिलिस्तीन इसका विरोध कर रहा है, जबकि कई देश इस समझौते को लेकर हैरान हैं। इजरायल और यूएई के बीच कई साल से 'बैक डोर डिप्लोमेसी' चल रही थी। लेकिन, अब दोनों देशों ने सार्वजनिक तौर पर शांति समझौते का ऐलान किया है। इजरायल ने वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने या दूसरे शब्दों में कहें तो कब्जे का इरादा फिलहाल टाल दिया है। इससे खाड़ी देशों और इजरायल में तनाव कम होगा।
- विश्लेषकों का कहना है कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को विदेश नीति के मोर्चे पर जीत मिली है। वे इसे अपनी जीत की तरह पेश करेंगे। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी मजबूती मिली है जो इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही इन दिनों कोरोना वायरस को सही से नहीं संभालने को लेकर घिरे हुए हैं। हालांकि कई लोगों ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना को टालने पर नाराजगी जताई है।
- इस समझौते का पहला और जाहिर तौर पर मकसद ईरान पर शिकंजा कसना है। ईरान शिया बहुल देश है। उसके अरब देशों और अमेरिका, दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इजरायल को भी वो कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजरायल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। अब जबकि यूएई और इजरायल औपचारिक तौर पर करीब आ गए हैं तो अमेरिका को ज्यादा मजबूती मिलेगी। वो ईरान पर शिकंजा कस सकेगा। समझौते के कामयाब होने में ज्यादा शक की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इजरायल और यूएई पिछले दरवाजे की कूटनीति के जरिए कई साल से संपर्क में थे।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होना, दूतावास बनाया जाना और व्यापार की सुविधा शुरू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस डील के बाद कई सवाल भी उठे हैं। विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि क्या डील में शामिल सभी वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही ट्रंप के आह्वान पर क्या अन्य अरब भी देश भी यूएई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उनका कहा कि ट्रंप ने फलस्तीन विवाद को सुलझाने पर हमेशा जोर दिया है लेकिन इस डील से केवल कुछ समय के लिए ही फायदा होगा।
- सऊदी अरब और इजरायल दोनों ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतित हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी इजरायल और सऊदी अरब एक रुख रखते हैं।
- विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल और अरब देशों में नजदीकियों के कई और कारण हैं। वो कारण हैं तेल के घटते दाम, खाड़ी के देशों में सरकारों के खलिाफ विद्रोह का खतरा और अमरीकी समर्थन के खत्म होने का डर।

आगे की राह

- इजरायल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते से दुनियाभर के मुस्लिम देशों में न केवल इजरायल की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि, इजरायल की सुरक्षा और स्थिरता को भी इससे लाभ पहुंचेगा। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इस समझौते में क्या नहीं है। यह फलस्तीनियों के सवाल को हल करने की व्यापक शांति योजना से दूर है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबे समय तक बढ़ावा दिया है। हालांकि, इसमें सभी पक्षों के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ छिपे हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. मध्य-पूर्व में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने के साथ-साथ यह भी बतायें कि वर्तमान परिस्थितियों में मध्य-पूर्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे साध सकता है?

06 टैक्सपेयर चार्टर : टैक्सपेयर के विश्वास को बढ़ाने में सहायक

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान (Transparent Taxation – Honoring the Honest) लॉन्च किया है।
- गौरतलब है कि इसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर जैसे बड़े कर सुधार शामिल किए गए हैं। फेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर तत्काल लागू कर दिया गया है, जबकि 25 सितंबर से देश भर के नागरिकों के लिए फेसलेस अपील की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी।
- इसका उद्देश्य करदाताओं को सहूलियत प्रदान करना है ताकि कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण किया जा सके।

योजना के प्रमुख प्रावधान

फेसलेस कर प्रणाली:

- फेसलेस असेसमेंट का उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को खत्म करना है। फेसलेस असेसमेंट की मुख्य विशेषताएं हैं-
  - इसकी सहायता से डेटा विश्लेषण और एआई-आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर करदाताओं का चयन किया जा सकता है।
  - प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का उन्मूलन अर्थात एक करदाता चाहे जिस शहर का हो उसके आईटीआर का आकलन कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक चयन के माध्यम से किसी अन्य शहर में भी किया जा सकता है।
  - अपील के लिए मामलों का स्वचालित यादृच्छिक आवंटन हो सकता है।
  - कोई भौतिक उपस्थिति या कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।
  - इसके अलावा इसमें अलग-अलग शहरों में ड्राफ्ट मूल्यांकन, समीक्षा और अंतिम रूप देना शामिल है।
  - इसके अपवादों में केवल गंभीर धोखाधड़ी, कर चोरी, संवेदनशील खोज मामले, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, काला धन और बेनामी संपत्ति के मामले ही शामिल किए गए है।

करदाता चार्टर:

- ध्यातव्य है कि करदाता चार्टर में आयकर विभाग के लिए 14 और करदाताओं के लिए 6 प्रतिबद्धताएं दी गयी है। करदाता चार्टर के अनुसार आयकर विभाग इन कार्यों हेतु प्रतिबद्ध है-
  - विभाग, करादाताओं के साथ सभी काम में शीघ्र, विनम्र और पेशेवर सहायता देगा।
  - आयकर विभाग प्रत्येक करदाता को ईमानदार मानते हुए उचित व्यवहार करेगा।
  - इसके अलावा आयकर विभाग उचित पारदर्शी अपील और समीक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगा।
  - विभाग कानून के तहत करपालन के दायित्वों को पूरा करने के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा।
  - विभाग इनकम टैक्स की हर कार्यवाही में फैसला, कानून के तहत दिए गए समय के अंदर लेगा और कानून के तहत दी गई राशि को ही जमा करेगा।
  - विभाग कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेगा और किसी जांच, पड़ताल और प्रवर्तन कार्यवाही में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देगा।
  - विभाग करदाता द्वारा दी गई किसी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, जब तक कानून द्वारा वह प्रमाणित नहीं हो।
  - विभाग अपनी अथॉरिटी को उसकी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार मानेगा।
  - विभाग हर करदाता को अपने चुने हुए प्रतिनिधि रखने की इजाजत देगा।
  - विभाग करदाता को शिकायत दर्ज कराने और शीघ्र उसका निपटारा करने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। विभाग टैक्स से जुड़े मुद्दों को निश्चित समय में सुलझाने के लिए एक सही और निष्पक्ष व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।
  - विभाग समय-समय पर रिपोर्ट और सेवा मानकों को प्रकाशित करेगा।

करदाता की जिम्मेदारियां:

- आय करदाताओं की निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं हैं:
  - करदाताओं से उम्मीद है कि ईमानदार रहें और ईमानदारी से समय पर अपना टैक्स चुकाएं।
  - करदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी टैक्स देनदारियों के प्रति सजग रहें और जरूरत पड़ने पर विभाग से मदद लें।
  - इसके अलावा करदाताओं से यह भी अपेक्षा है कि वे कानून के अनुसार अपने रिकॉर्डों को ठीक से रखें।
  - टैक्सपेयर्स से उम्मीद है कि वे इस बात की जानकारी रखें कि उनके अधिकृत प्रतिनिधि क्या सूचनाएं दे रहे हैं।

करप्रणाली के मौजूदा ढांचे से जुड़े मुद्दे

- ध्यातव्य है कि कर विभाग द्वारा 1998 में सेवोत्तम फ्रेमवर्क के साथ एक नागरिक चार्टर को अपनाया गया था। लेकिन यह गैर-वैधानिक प्रकृति और जवाबदेही तंत्र की कमी के कारण प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ।
- इस संदर्भ में 2002 के केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार कर विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक लोकपाल की व्यवस्था भी की गयी थी लेकिन यह भी अप्रभावी साबित हुआ।
- वर्तमान में प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर प्रणाली में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन लेकिन निजता और गोपनीयता, बलपूर्वक कर संग्रह, पूर्वव्यापी कराधान जैसे मुद्दे बने हुये हैं।

- कर प्रशासन सुधार आयोग ने 2014 में इन मुद्दों और करदाताओं की जरूरतों के आधार पर एक संशोधित चार्टर की आवश्यकता महसूस की थी। सरकार द्वारा जारी नए चार्टर में कर दाताओं की इन्हीं चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

चार्टर के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख सुझाव

- नए चार्टर के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम वैश्विक मानकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

पूर्वव्यापी कराधान पर कानूनी सीमा:

- एक अपराध के लिए दोहरे दंड से सुरक्षा, आदेश जारी होने से पहले सुनवाई का अधिकार और किसी करदाता को स्वयं के अभियोजन पक्ष में सहायता करने के लिए मजबूर नहीं करने के सिद्धांत (principle against self incrimination) को अपनाया जाना चाहिए।

अनुपालन की लागत को कम करना:

- रिटर्न भरने के लिए सरकारी डेटा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ इससे सरकारी डेटा संग्रह में भी सुधार होगा।

करदाताओं को सहायता:

- व्यक्तिगत करदाताओं, MSME's, व्यवसायों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और ऐसे करदाता जो दूरदराज के क्षेत्रों से आते है, आदि को ऑनलाइन सहायता प्रदान की जा सकती है। इससे कर प्रणाली के प्रति विश्वास और स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रभावी शिकायत निवारण:

- जब भी किसी करदाता द्वारा शिकायत की जाए तो एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
- यदि कोई अधिकारियों द्वारा दोषी पाया जाता है, तो उसे करदाता से माफी मांगने और करदाता को एक सांकेतिक मुआवजे देने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है।
- कर अधिकारियों के समग्र मूल्यांकन में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निष्कर्ष को भी शामिल करना चाहिए।

कानून के अनुसार ही कर संग्रह:

- कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कर संग्रहण का प्रयास नहीं होना चाहिए। वर्तमान में, कर संग्रहण की उच्च मांग और उससे होने वाली मुकदमेबाजी से कर विभाग का निष्पादन प्रभावित होता है।
- कर संग्रहण की भारी माँग, गैर-कानूनी आदेश जारी करना, बैंक खातों कुर्की करना आदि प्रथाओं को असाधारण स्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

निजता और गोपनीयता:

- कर निरीक्षण को नियंत्रित करने वाले नियमों विशेष रूप से सर्वेक्षण और खोजबीन के कार्यों में नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- गोपनीयता और निजता के उल्लंघन को अपराध बनाया जाना चाहिए और जांच अधिकारी की जवाबदेहिता तय की जानी चाहिए।
- इस संदर्भ में किसी व्यक्ति, कंपनी आदि के गैरकानूनी व्यवहार को सार्वजनिक (Naming and shaming policy) करने के संबंध में न्यायिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

जवाबदेहिता:

- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जिसमें राजस्व और चार्टर प्रकोष्ठों के प्रदर्शन और कार्यों के आकलन के साथ-साथ करदाताओं की प्रतिक्रिया को भी शामिल किया गया हो।

निष्कर्ष

- स्वतंत्रता के पश्चात समय में काफी बदलाव हुए हैं, किंतु चली आ रही कर व्यवस्था के मौलिक रूप में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले की कर प्रणाली की जटिलताओं ने ही इसे नया रूप देना मुश्किल बना दिया था।
- इसलिए देश की कर संरचना में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता थी।
- करदाताओं के चार्टर में कर कानून को सफल बनाने और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता है। यह कर भुगतान न करने वाले में भय उत्पन्न करने के साथ ईमानदार करदाताओं के बोझ को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।
- यह तभी संभव है जब इसके कार्यान्वयन में न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन की अवधारणा को लागू किया जाएगा।
- देश के ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब देश के एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है, वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है, उसकी प्रगति से देश का भी विकास होता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में करदाताओं के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफार्म 'पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान' की समीक्षा करें।

07 कृषि अवसंरचना कोष : कृषि बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष जारी किया है। इस कोष का इस्तेमाल कृषि संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार, कृषि उपज विपणन समिति (APMC) से जुड़े सुधार और अनुबंध कृषि (Contract Farming) से जुड़ी नीतियों में सुधार सुधार भी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भी आवश्यक हो गया था जिसे ध्यान रखते हुये सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष बनाया जाना कृषि-बाजार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

- कोरोना संकट से उभरने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया था। कृषि अवसंरचना कोष भी उसी पैकेज का हिस्सा है। इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलसी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

- ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमश: की मंजूरी प्रदान की गई है।
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
- इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के एफपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा के माध्यम से, इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

लाभ

- यह कोष 'कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना' और 'सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों' जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, इत्यादि के सृजन को उत्प्रेरित करेगा। ये परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी।
- दरअसल, इन परिसंपत्तियों की बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने एवं ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने, बर्बादी को कम करने, और प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे।
- कई ऋणदाता संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे; सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर

कर दिए हैं। इसकी मदद से किसानों को उनकी फसल के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और 2022 तक उनकी आय को दुगुना करने के संकल्प को प्राप्त किया जा सकेगा।

कृषि अवसंरचना कोष से जुड़े मुद्दे

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिक और बेहतर भंडारण सुविधाएं किसानों को फसल के तुरंत बाद संकट से बचने में मदद कर सकती हैं क्योंकि उस समय कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं। लेकिन, छोटे किसान लंबे समय तक फसल को भंडारित नहीं रख सकते हैं क्योंकि परिवार के अन्य जरूरी खर्चों के लिए उसको नकदी की तत्काल आवश्यकता होती है।
- इसलिए, कृषक-उत्पादक संघ (एफपीओ) के स्तर पर इन भंडारण सुविधाओं को मालगोदाम रसीद हस्तांतरण सुविधा (negotiable warehouse receipt system) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- इस प्रणाली के तहत, एफपीओ किसानों को उनकी उपज के वर्तमान बाजार मूल्य का 75-80% तक अग्रिम भुगतान कर सकता है। हालांकि इसकी सफलता के लिए, एफपीओ को किसानों की फसलों के अग्रिम भुगतान के लिए एक बड़ी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
- चूंकि नाबार्ड द्वारा 10,000 से अधिक एफपीओ का गठन किया जाना है, अतः नाबार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफपीओ को भी उनकी कार्यशील पूंजी 4%-7% की ब्याज दर मिलती रहे। अन्यथा सिर्फ भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसानों को लाभ नहीं होगा।

किसानों के लिए बाजार जोखिम कम करने और बेहतर कीमत वसूली के लिए के उपाय

मालगोदाम रसीद हस्तांतरण सुविधा का प्रयोग

- चूंकि नाबार्ड द्वारा 10,000 से अधिक एफपीओ का गठन किया जाना है और एआईएफ के माध्यम से बुनियादी भंडारण सुविधाएं तैयार करनी है। इसमें एफपीओ के लिए एक अनिवार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल होना चाहिए। जिसमें-
- मालगोदाम रसीद हस्तांतरण सुविधा के उपयोग का प्रशिक्षण और
- बाजार जोखिमों से निपटने के लिए कृषि-वायदा बाजार की समझ शामिल हो।
- जिंस बाजारों में प्रतिभाग करने वाली सरकारी एजेंसियां जैसे भारतीय खाद्य निगम (FCI), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) इत्यादि को कृषि-वायदा डेरिवेटिव्स में अधिक भाग लेना चाहिए। जो बैंक एफपीओ, व्यापारियों, आदि को ऋण देते हैं, उन्हें भी कृषि-बाजारों के स्वस्थ विकास के लिए कृषि-वायदा में भाग लेना चाहिए।
- सरकार की नीति को और अधिक स्थिर और बाजार के अनुकूल होना होगा। अतीत में, ये अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और अप्रत्याशित रही हैं। कृषि-कीमतों में किसी भी वृद्धि के साथ, सरकार की नीति का पहला शिकार कृषि-वायदा था जिसमें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था।

कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन

- कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
- सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा. इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) के लिए होगी।

आगे की राह

- निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत को अपने कृषि-बाजार (एक राष्ट्र, एक बाजार) को न केवल स्थायी रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें समय की मांग के अनुसार वायदा बाजारों में परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। भारतीय किसानों को उनकी उपज के लिए सबसे अच्छी कीमत दिलाने और बाजार जोखिम बाधाओं से बचाने के लिए यह कदम शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. 'कृषि अवसंरचना कोष' का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में यह किस प्रकार सहायक होगा ?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 श्रीलंका में संविधान के 19वें संशोधन का निरसन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही मे श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा नव-निर्वाचित संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान, संविधान में 19वें संशोधन को समाप्त करने की घोषणा की गयी।

2. पृष्ठभूमि

- 19 वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकारों को कम करके संसद को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था।
- राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे दोनों ने ही राष्ट्रपति और संसद के चुनाव में 19वें संशोधन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था।
- गोटबाया राजपक्षे का मानना है कि श्रीलंकाई संविधान में 19वें संशोधन के अनुच्छेदों को मुख्यत: इनके नेताओं की सत्ता में वापसी को रोकने के लिए सम्मिलित किया गया था।

3. क्या है 19 वाँ संविधान संसोधन?

- इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया था। देश में पिछली सरकार ने इस संशोधन के जरिये राष्ट्रपति के लिए दो बार का कार्यकाल निर्धारित करने तथा राष्ट्रपति के अधिशासी अधिकारों में कटौती करने के साथ ही इसे संसद और स्वतंत्र आयोग को सौंप दिया था।

4. संशोधन के अन्य प्रावधान

- राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल को छह साल से घटा कर पांच साल कर दिया गया था।
- राष्ट्रपति की संसद को भंग करने की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा केवल चार साल तथा छह माह के बाद ही संसद को भंग किया जा सकता है।
- इसके अलावा राष्ट्रपति कैबिनेट का प्रमुख बना रहेगा, परंतु वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है।
- इस संशोधन के तहत दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गयी थी।

5. भारत और श्रीलंका-संबंध

- भारत और श्रीलंका के मध्य 2000 सालों से सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध विद्यमान है। दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ रूप से ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है।
- वर्तमान परिवेश में दोनों देशों के मध्य संबंधों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
  - भारत, श्रीलंका में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है।
  - भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे कि-दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन , दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ और बिम्सटेक।
  - भारत, श्रीलंका के छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
  - भारत, श्रीलंका के नागरिकों को तकनीकी और व्यवसायिक विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।
  - इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य वृहद सैन्य सहयोग भी स्थापित किये गए हैं। भारत समय-समय पर श्रीलंका की सैन्य क्षमता को विस्तारित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहता है।
  - उदाहरण के रूप में 'सिलिनेक्स', 'मित्र शक्ति' जिनकी शुरूआत क्रमश: 2005 और 2013 में की गई थी।

02 गूगल-पे पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गूगल-पे द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है।

2. पृष्ठभूमि

- याचिका में गूगल-पे ऐप पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।
- याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथपत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
- याचिका में दावा किया गया है कि कंपनी अक्टूबर 2019 के UPI प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों (UPI procedural guidelines) का उल्लंघन करते हुए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संग्रहीत कर रही है।
- UPI प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत इस तरह के डेटा को केवल भुगतान सेवा प्रदाता (Payment Service Provider– PSP) बैंक प्रणालियों द्वारा संग्रहीत करने की अनुमति दी गयी है।

3. क्या है गूगल-पे ऐप?

- Google पे ऐप उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लेनदेन, अंतर-बैंक निधि हस्तांतरण और बिल भुगतान करने की अनुमति देता है।
- यह सॉफ्टबैंक समर्थित भारत में पेटीएम (Paytm) और फोन पे (Phone Pay) के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिनका भारत में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है।
- फेसबुक का व्हाट्सएप भी निकट भविष्य में इसी तरह की सेवा प्रदान करने की योजना बना रहा है।

4. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है?

- एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ (Unified Payments Interface-UPI) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है।
- यह अंतर बैंक लेनदेन को सुविधाजनक बनाता है।
- इस इंटरफेस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का काम करता है।

5. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

- भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक स्तर पर लाने के लिए एनपीसीआई का गठन किया गया था।
- इसकी स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गयी थी।
- इसने देश में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा तैयार किया है।
- एनपीसीआई द्वारा रूपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी फास्ट टैग) और भारत बिल पे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को विकसित किया गया है।

6. भारत के लिए डेटा स्थानीयकरण क्यों आवश्यक

- गौरतलब है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किया गया व्यापक डेटा संग्रह, उन्हें देश के बाहर भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा को संसाधित और मुद्रीकृत (monetize) करने में सक्षम बनाता है।
- मशीन लर्निंग (ML), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियां विभिन्न डेटा से मूल्य संवर्धन कर सकती हैं। यह कुछ सीमाओं के भीतर समाहित नहीं होने पर विनाशकारी हो सकती है।
- क्लाउड कंप्यूटिंग के आगमन के साथ ही भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश की सीमाओं के बाहर चला जाता है, जिससे किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्ष होता है।

03 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' (एनडीएचएम) के तहत लोगों से एकत्रित गोपनीय स्वास्थ्य आंकड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने मान्य कानूनों और विनियमों के अनुपालन के साथ ही न्यूनतम मापदंडों के एक प्रारूप का प्रस्ताव रखा है।
- इसी संदर्भ में 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने लोगों के लिए 'स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति' का मसौदा जारी किया है।

2. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया था।
- यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें व्यक्ति के सभी डॉक्टरों के साथ-साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं का अंकीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड सम्मिलित होगा।
- एनडीएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य कार्ययोजना (NDHB) के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लागू करेगा। NDHM एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा।

3. मिशन की आवश्यकता

- इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों के लिए सही डॉक्टरों को खोजने, मुलाकात के समय, परामर्श शुल्क का भुगतान करने, चिकित्सीय नुस्खों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। इसके साथ ही यह लोगों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त करने के लिए एक सुविज्ञ निर्णय लेने में सक्षम बनायेगा।

4. प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना के छह प्रमुख घटक हैं-स्वास्थ्य पहचान पत्र (Health ID), डिजीडॉक्टर (DigiDoctor), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन।
- इस मिशन से जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस आदि जैसे प्रकोपों की आसान और प्रभावी निगरानी हो सकेगी।
- सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन हो सकेगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत के अलावा विभिन्न राज्यों में कई स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। परंतु बिना एकीकरण के इनका प्रभावी कार्यान्वयन मुश्किल है।
- भविष्य में चिकित्सा क्षेत्रों (यथा-जीन-आधारित चिकित्सा आदि) का विकास हो सकेगा।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सतत विकास लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद करेगा।

5. चुनौतियाँ

- देश में मेडिकल रिकॉर्ड के भंडारण और पुनर्प्राप्ति में प्रस्तावित बदलाव को प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के इंटरफेस से डिजिटल एकीकरण को प्राप्त करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की कम समझ NDHM द्वारा दी जाने वाली समावेशिता और पहुंच की क्षमता को सुनिश्चित करने में एक चुनौती होगी।
- एनडीएचएम में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सम्बन्धित मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय होगा।
- NDHM के लिए सबसे बड़ी बाधा भारत का अल्प स्वास्थ्य बजट है।

6. आगे की राह

- कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा की नितांत आवश्यकता है, अत: इस उद्देश्य को पाने में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- कुछ विशेषज्ञ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से उपजने वाले निजता के अधिकार के उल्लंघन की भी बात कर रहे हैं, अत: सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा।
- हालाँकि स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति व्यक्तियों की आंकड़ा निजता की रक्षा हेतु एनडीएचएम के 'सुरक्षा एवं निजता डिजायन' मार्गदर्शक सिद्धांत को साकार करने की दिशा में पहला कदम है
- सरकार को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर भी अधिक बल देना होगा।

04 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाएं

1. चर्चा का कारण

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (एसटीआई), 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की निजी क्षेत्र की शोध कंपनियाँ सरकारी वित्त पोषित प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों की तुलना में मुख्य अनुसंधान और विकास गतिविधियों में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा नियोजित करती हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (Science and Technology Indicators-STI), 2018 के अनुसार निजी क्षेत्र की R-D कंपनियों में कार्यरत 20,351 महिलाओं में से लगभग चार में से तीन "R-D गतिविधियाँ" में शामिल थीं।
- हालांकि, प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों में कार्यरत 23,008 महिलाओं में से आधी से कम या लगभग 10,138 'R-D गतिविधियों' की श्रेणी में शामिल थीं।
- कुल मिलाकर देखा जाये तो निजी क्षेत्र की कंपनियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि कई सरकारी वैज्ञानिक संगठनों की तुलना में महिला वैज्ञानिकों को भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में काफी प्रतिनिधित्व दिया जाये।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- स्वतंत्र आयोगों और नीति आयोग द्वारा महिला वैज्ञानिकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारणों का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। अध्ययन के अनुसार महिलाओं पर परिवार चलाने के लिए सामाजिक दबाव अधिक होता है, जिससे वे पेशेवर कैरियर से दूर हो जाती हैं।
- कई R-D गतिविधियों में महिलाओं की नियुक्ति के संदर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। साथ ही प्रशासक स्वयं कई बार निर्णय ले लेते हैं कि महिलाओं को R-D गतिविधियों में शामिल होने के वजाय अपने परिवार का विकल्प चुनना चाहिए।

4. सरकारी प्रयास

- वैज्ञानिक शोध में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वर्ष 2002 में शुरू की गई महिला वैज्ञानिक योजना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य 27-57 वर्ष की उन महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को मुख्यधारा में लौटने के अवसर प्रदान करना है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने कैरियर में पिछड़ जाती हैं। सरकारी आकंड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2.82 लाख लोगों में से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (KIRAN Scheme) की शुरुआत की गई। किरण के विभिन्न कार्यक्रम और घटक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों (कैरियर में बिखराव , मुख्य रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वरोजगार, अंशकालिक कैरियर, स्थानांतरण, आदि) के कारण महिला वैज्ञानिकों द्वारा कैरियर में डटकर सामना करने का सन्देश देते हैं।
- महिला वैज्ञानिक योजना का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना है।
- विज्ञान ज्योति छात्राओं के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करना है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को यह समझने में मदद करने की पेशकश करता है कि कैसे स्कूल से कॉलेज और उसके बाद? विज्ञान के क्षेत्र में शोध से नौकरी तक उनकी यात्रा की योजना बनाई जाए।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है, और यह देश भर में कई वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

6. आगे की राह

- विषमता, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा तंत्र में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला वैज्ञानिकों के लिए अवसर पैदा करना और उच्च शिक्षा क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है।

05 पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मतभेद एवं भारत

1. चर्चा का कारण

- जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दरार देखने को मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर समर्थन हासिल करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है।

2. सऊदी अरब-पाकिस्तान का संबंध

- भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध बहुत गहरे थे। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब ने भारतीय कार्रवाई को मानवीय मूल्यों के खिलाफ विश्वासघाती और खतरनाक बताया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1971 के युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग 75 लड़ाकू जहाज के साथ हथियार और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए थे।
- 1971 के युद्ध के बाद, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1977 तक अमेरिका से F-16s लड़ाकू जहाज, हार्पून मिसाइलें व हथियार खरीदने के लिए लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया।
- पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया । पिछले दो दशकों में, सऊदी अरब ने आर्थिक कठिनाई की स्थिति में पाकिस्तान को विलंबित भुगतान पर तेल उपलब्ध कराया है।
- वर्ष 1990 में इराक के कुवैत पर आक्रमण के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिये अपनी थल सेना भेजी थी।

3. पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच मतभेद के मुद्दे

- वर्ष 2015 में पाकिस्तान की संसद ने यमन में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के सऊदी सैन्य प्रयास का समर्थन न करने का फैसला किया।
- पुलवामा आतंकी हमले के बाद फरवरी 2019 में अमेरिका सहित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बनाया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने उस समय पाकिस्तान और भारत का दौरा किया, और यह स्पष्ट किया कि वे आर्थिक अवसरों को महत्व देते हैं।
- पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमदू कुरैशी ने कहा कि ओआईसी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने में नेतृत्व की भूमिका नहीं निभाई थी। इससे नाराज होकर सऊदी अरब ने जो नवंबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 6.2 बिलियन डॉलर के ऋण पैकेज की घोषणा की थी, को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वापस किये जाने की मांग की और विलंबित भुगतान पर पाकिस्तान को तेल बेचने से इंकार कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने तुरंत 1 बिलियन डॉलर सऊदी अरब को लौटाए, जिससे दोनों देशों के बीच दरार दिखाई दी।

4. सऊदी अरब और भारत

- पिछले साल, भारत द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद, पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा के लिए ओआईसी के साथ साथ सऊदी अरब के समर्थन की उम्मीद की थी किन्तु, सऊदी अरब और यूएई ने ऐसे बयान जारी किए जो पाकिस्तान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।
- सऊदी अरब की स्थिति में बदलाव एक प्रमुख कारण या है कि इसकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर करती है और सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (चीन, अमेरिका और जापान के बाद) और ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरब से आयात करता है। सऊदी अरब भारत के लिए एलपीजी का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस कारण सऊदी अरब भारत को एक मूल्यवान भागीदार के रूप में देखता है।
- अमेरिकी दबाव को देखते हुए भारत द्वारा ईरान से तेल के आयात को स्थगित करने के बाद भारत के लिये सऊदी अरब का महत्त्व काफी बढ़ गया है।

5. चीन की भूमिका

- पाकिस्तान और चीन ने खुद को ष्सभी मौसम के सहयोगी (allweather allies) कहा है। पिछले एक साल में, बीजिंग ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीन बार इस मुद्दे को उठाया है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में पाकिस्तान सबसे बड़ा लाभार्थी है। सऊदी अरब ने भी सीपीईसी परियोजनाओं में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन पाकिस्तान अब कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए बीजिंग की ओर देखता है।

06 भारत के सेवा क्षेत्र में संकुचन

1. चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले लॉकडाउन ने कंपनियों को परिचालन में कमी लाने और कर्मचारियों की संख्या में कटौती रखने को मजबूर किया, जिससे सेवा क्षेत्र में संकुचन बरकरार रहा। देश के सेवा क्षेत्र में जुलाई माह के दौरान भी गिरावट रही। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से सेवा क्षेत्र को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
- आईएचएस मार्किट इंडिया के सेवा क्षेत्र के खरीद प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के मुताबिक जुलाई में सूचकांक में मामूली वृद्धि होने के बावजूद सेवा क्षेत्र में लगातार पांचवें माह संकुचन रहा। पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना क्षेत्र में विस्तार को बताता है जबकि 50 अंक से नीचे रहने पर यह संकुचन को दर्शाता है।

2. सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

- सेवा क्षेत्र पिछले तीन दशकों में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ रहा है। भारत के विकास में सेवा क्षेत्र का अमूल्य योगदान रहा है, जिसका अर्थव्यवस्था में 55 प्रतिशत हिस्सा विद्यमान है।
- सेवाओं के निर्यात ने हाल के वर्षों में वृद्धि की है, जिसके कारण दुनिया की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में तेजी से बढ़कर 2018 में 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
- विश्व बाजार में अनिश्चितता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अनुमानित मंदी को देखते हुए इस साल 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है जबकि भारत के सेवा क्षेत्र को ज्यादातर घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ा है।

3. चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान

- कोविड 19 महामारी के कहर से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 20.9 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दिया। किन्तु जानकारों का मानना है कि सेवा क्षेत्र में सरकार के आत्मनिर्भर सुधार पैकेज में कोई उल्लेख या ध्यान नहीं है।
- पर्यटन, विमानन, नौवहन, कॉल सेंटर और वितरण सेवाओं के गतिविधियों में ठहराव से रोजगार, उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इसके अतिरिक्त अधिकांश सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं और दुर्भाग्य से, उनके लिए कोई विशिष्ट राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं है।

4. सुझाव

- कोविड 19 महामारी को देखते हुए अल्पावधि में, सरकार को वैट में कटौती करने की आवश्यकता है, जो विमानन ईंधन पर 0-30 प्रतिशत है । जीएसटी के स्लैब में भी सरकार को बदलाव करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण के लिए लचीली शर्तों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा सेवा क्षेत्र में नये अवसरों का उपयोग करने में विद्यार्थियों को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीडीपी वृद्धि दर के साथ-साथ रोजगारों को भी ध्यान में रखना होगा और सेवा क्षेत्र देश के युवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक संख्या में रोजगार सृजित कर सकता है।

5. आगे की राह

- सरकार डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात दोनों को प्रभावित करने वाली अधिकांश निर्यात-प्रोत्साहन योजनाओं को रद्द करने या तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है। इससे निर्यातकों को और नुकसान होने की उम्मीद है। इसलिए जब तक सरकार आगामी विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, तब तक इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में लंबा समय लगेगा।

07 स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट –2020

1. चर्चा का कारण

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी की गई । स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 देश के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का पांचवाँ संस्करण है।

2. पृष्ठभूमि

- 2014 में स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत 100 प्रतिशत ठोस कचरे के प्रबंधन के साथ शहरी भारत को 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

3. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार चौथे साल इंदौर को देश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। विदित हो कि 4,000 से अधिक शहरों में स्वच्छता का सर्वेक्षण इस वर्ष की शुरुआत में 28 दिनों में किया गया था।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 97 गंगा शहरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 1.87 करोड़ नागरिकों की भागीदारी रही।
- 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को नंबर एक पर रखा गया, इसके बाद सूरत, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, नई दिल्ली, चंद्रपुर और खरगोन शामिल हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में, शीर्ष तीन शहर - कराड (Karad), सस्वाद (Sasvad) और लोनावाला हैं जो सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं।
- छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की श्रेणी में भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का प्रतिष्ठित खिताब जीता जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ।
- 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। इसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।
- 'गंगा शहरों' की श्रेणी में वाराणसी, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) सबसे स्वच्छ राजधानी नगर है।
- देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान जालंधर छावनी बोर्ड को प्राप्त हुआ है। इसके बाद दिल्ली छावनी बोर्ड और मेरठ छावनी बोर्ड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

4. प्रमुख उपलब्धियां

- 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दोनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 4,324 शहरी यूएलबी को ओडीएफ घोषित किया गया है, 1,319 शहरों को ओडीएफ+ और 489 शहरों को ओडीएफ ++ को मंत्रालय के स्वच्छता प्रोटोकॉल के अनुसार प्रमाणित किया गया है।
- यह 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से संभव बनाया गया है, जो मिशन के लक्ष्यों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, 2900+ शहरों में 59,900 से अधिक शौचालयों को गूगल मानचित्र पर लाइव किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में, 96 प्रतिशत वार्डों में डोर-टू-डोर कलेक्शन है, जबकि उत्पन्न कुल कचरे का 66 प्रतिशत पहले के 18 प्रतिशत प्रसंस्करण के 2014 के स्तर के लगभग 4 गुना अधिक है।
- कुल 6 शहरों (इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूरु) को 5-स्टार शहरों, 86 शहरों को 3-स्टार और 64-शहरों को 1-स्टार के रूप में दर्जा दिया गया है। कचरा निस्तारण के मामले में मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 श्रीलंका में संविधान के 19वें संशोधन का निरसन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. श्रीलंका में 19वें संविधान संशोधन को वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
2. 19वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः श्रीलंका में 19वें संविधान संशोधन को वर्ष 2015 (न कि 2018) में लागू किया गया था। 19वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति तथा संसद के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इस तरह कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

02 गूगल-पे ऐप द्वारा नियमों का उल्लंघन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गूगल-पे ऐप उपयोगकर्त्ताओं को डिजिटल लेनदेन, अंतर-बैंक निधि हस्तांतरण और बिल भुगतान करने की अनुमति देता है।
2. यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था।
3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान (एनपीसीआई) की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः गूगल-पे ऐप उपयोगकर्त्ताओं को डिजिटल लेनदेन अंतर बैंक निधि हस्तांतरण और बिल भुगतान करने की अनुमति देता है। यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगर एवं भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान भी निगम की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी।

03 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

प्र. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को 5 प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है।
2. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लागू करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, को 6 प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वासथ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं (NDHB) के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लागू करेगा। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

04 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाएँ

प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार पारिवारिक व सामाजिक दबाव के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाती है।
2. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में महिला केन्द्रित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किस योजना में समाहित कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार महिलाओं पर परिवार बनाने के लिए सामाजिक दबाव अधिक होता है, जिससे वे पेशेवर कैरियर से दूर रहती है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2014 में महिला केन्द्रित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को 'किरण योजना' में समाहित कर दिया था। इस तरह कथन (2) गलत है, अतः उत्तर 1 होगा।

05 पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मतभेद एवं भारत

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद, पाकिस्तान ने भारत की कड़ी निंदा की थी। इसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था।
2. भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः वर्ष 2019 में भारत द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद, पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा में ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया था। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरब से आयात करता है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

06 भारत के सेवा क्षेत्र में संकुचन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 25% योगदान सेवा क्षेत्र (Service Sector) का है।
2. वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5 प्रतिशत है।
3. कोविड-19 के कारण विश्व बाजार में अनिश्चितता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण इस वर्ष 3 प्रतिशत की गिरावट रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः दुनिया की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2018 में लगभग 3.5 प्रतिशत तक पहुँच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा खेत्र का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा विद्यमान है और कोविड- 19 के कारण विश्व बाजार में अनिश्चितता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अनुमानित मंदी को देखते हुए इस वर्ष 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

07 स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट–2020

प्र. स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 की रिपोर्ट जारी की जाती है।
2. स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर को देश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया।
3. स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 में दिल्ली छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1

(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट-2020 में लगातार चौथे वर्ष इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान जालंधर छावनी बोर्ड को प्राप्त हुआ है। इसके बाद दिल्ली छावनी बोर्ड और मेरठ छावनी बोर्ड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस तरह कथन 1 और 3 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana -PMJDY) के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग, बचत/जमा खातों, प्रेषण, उधारी, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई की घोषणा की थी।
- 28 अगस्त, 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को एक दुष्चक्र से गरीबों की मुक्ति के एक जश्न के रूप में निरूपित किया था।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों का वित्तीय समावेशन करना है।
- वर्तमान के डिजिटलिकरण के इस दौर में भी जिन व्यक्तियों का बैंक में कोई खाता नहीं है, उनका पीएमजेडीवाई बैंक में खाता होना सुनिश्चित करती है और बैंकिंग प्रणाली से उन्हे जोड़ती है।
- इस योजना ने जैम (जन धन खाता, मोबाइल नंबर और आधार) त्रिनिती के माध्यम से कारोंडों लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। इसने भारत के वित्तीय ढ़ांचे का विस्तार किया है और 40 करोड़ से अधिक खाताधारकों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाई है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज अनेक परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग और महिलाएं हैं।

पीएमजेडीवाई के उद्देश्य

- किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना
- लागत घटाने और पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

पीएमजेडीवाई योजना के मूल सिद्धांत

- **बैंकिंग पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना:** न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना, केवाईसी, ई-केवाईसी नियमों में ढील देना, शून्य खाता शेष और शून्य शुल्क के साथ शिविर मोड में खाता खोलना।
- **असुरक्षित को सुरक्षित करना:** 2 लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
- वित्ती पोषण की सुविधा-सूक्ष्मन बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद

पीएमजेडीवाई की प्रमुख विशेषताएं

- बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता सुनिश्चित करना। अब ओवरड्राफ्ट सीमा को 5,000 रुपये से दोगुना करते हुए 10,000 रुपये किया गया है और ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, ऋण के लिए तैयार होना, बीमा एवं पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फोन का उपयोग करना।
- **क्रेडिट गारंटी फंड तैयार करना:** डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान करना।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।

- रूपे डेबिट कार्ड या आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से अंतर-संचालन की सुविधा। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।
- केवाईसी की बोझिल औपचारिकताओं के स्थान पर सरलीकृत केवाईसी/ई-केवाईसी।

पीएमजेडीवाई की उपलब्धियां

- गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 1.31 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
- इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6 फीसद ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं और 55.2 फीसद खाताधारक महिलाएं हैं।
- इस योजना के तहत पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 29.75 करोड़ रूपे (RuPay) कार्ड जारी किए गए हैं। समय के साथ-साथ रूपे कार्ड की संख्या और उसकी उपयोगिता बढ़ रही है।
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, अप्रैल-जून, 2020 के दौरान महिलाओं के पीएमजेडीवाई खाताधारकों के खातों में कुल 30,705 करोड़ रुपये जमा किए गए।
- लगभग 8 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ है।

आगे की राह

- पीएमजेडीवाई खाताधारकों का सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच रूपे डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए देश भर में उपयुक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।
- माइक्रो-क्रेडिट और सूक्ष्म निवेश जैसी फ्लेक्सी आवर्ती जमा आदि तक पीएमजेडीवाई खाताधारकों की पहुंच में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी।

02 फाल्कन अवॉक्स (Phalcon AWACS)

चर्चा में क्यों

- केंद्र सरकार, भारतीय वायुसेना के लिए इजराइल से दो फाल्कन अवॉक्स (Phalcon AWACS) खरीदने की तैयारी कर रही है।

परिचय

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार करीब एक अरब डॉलर में फाल्कन नामक 'एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम '(Airborne Warning and Control System -AWACS) की इस सरकारी खरीद को मंजूरी देने की प्रक्रिया निर्णायक स्तर पर पहुंच चुकी है।
- पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के साथ भारत के जारी सीमा विवाद के बीच दो फाल्कन 'अवाक्स' खरीदने के लिये इजराइल के संबद्ध अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।
- वायुसेना के पास पहले से तीन फाल्कन 'अवाक्स' हैं तथा दो और मिल जाने से देश की हवाई रक्षा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम

- एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवॉक्स), एक हवाई राडार पिकेट प्रणाली (airborne radar picket system) है जिसे

लंबी दूरी पर विमान, जहाजों और वाहनों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है।

- यह प्रणाली विमान पर ही कमांड एवं कंट्रोल तथा 'पूर्व चेतावनी' सुलभ कराती है , जिससे वायु सेना को हवाई क्षेत्र में कम से कम समय में प्रभावकारी वर्चस्वा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

फाल्कन अवॉक्स (Phalcon AWACS)

- फाल्कन 'अवाक्स' को इजराइल की रक्षा कंपनी ने विकसित किया है।
- भारत ने फाल्कन 'अवाक्स' को रूसी मूल के इलयुशीन-76 परिवहन विमान पर लगाया गया है और इसकी शानदार निगरानी क्षमताओं को लेकर इसे आसमान में 'आंख' कहा गया है।
- फाल्कन 'अवाक्स' दुश्मन के विमान, उसकी मिसाइलों और सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है।

स्वदेशी अवॉक्स

- भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवॉक्स) भी विकसित किया है।
- वर्ष 2003 में डीआरडीओ ने स्वदेशी अवॉक्स विकसित करने की परियोजना की शुरुआत की थी।

नेत्र (NETRA)

- डीआरडीओ ने नेत्र (NETRA) नामक स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवॉक्स) विकसित किया है।
- 'नेत्र' को विकसित करने का काम वर्ष 2007 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 2017 में 'नेत्र' का पहला एयरक्राफ्ट वायुसेना को दिया गया था।

03 ब्लू प्लाक और नूर इनायत खान

चर्चा में क्यों

- हाल ही में नूर इनायत के लंदन वाले घर पर ब्लू प्लाक, लगाई गयी। अर्थात इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक नीली पट्टिका लगाई गयी।
- वे भारतीय मूल पहली ऐसी महिला होंगी, जिन्हें यह सम्मान दिया दिया गया है।

ब्लू प्लाक

- 'ब्लू प्लाक' योजना ब्रिटिश हैरिटेज धर्मार्थ संगठन (चौरिटी) द्वारा चलाई जाती है।
- 'ब्लू प्लाक' योजना के तहत उन विख्यात लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो लंदन में या तो किसी खास इमारत में रहे हों या उसमें काम किया हो।
- भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान के ब्लूम्सबरी (लंदन) के फोर टेविटन स्ट्रीट स्थित पूर्व आवास को ब्लू प्लाक दिया जाएगा, जहां वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जासूस के तौर पर रहीं थीं। यह वही घर है, जिसको नूर ने अपने अंतिम मिशन पर जाने से पहले छोड़ा था।

नूर इनायत खान

- मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जक्यूटिव (एसओई) की एजेंट थीं।
- भारतीय पिता और अमेरिकी मां से रूस की राजधानी मास्को में वर्ष 1914 में नूर इनायत खान का जन्म हुआ था।
- वह 18वीं शताब्दी में मैसूर के राजा रहे टीपू सुल्तान की वंशज थीं, क्योंकि नूर के पिता हजरत इनायत खान मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के परपोते थे। उनकी मां 'ओरा मीना रे बेकर' (अमीना बेगम) एक अमेरिकी महिला थीं।
- दुनिया की बेहद लोकप्रिय जासूस बनीं नूर इनायत खान को दूसरे विश्वे युद्ध के दौरान स्पेशल ऑपरेशन एग्जक्यूटिव (एसओई) में योगदान के लिए याद किया जाता है।
- 1940 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक स्वतंत्र ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के तौर पर स्पेशल ऑपरेशन एग्जक्यूटिव (एसओई) की स्थापना की थी।
- नूर इनायत खान, स्पेशल ऑपरेशन एग्जक्यूटिव (एसओई) की पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थीं।
- 1944 में 30 वर्ष की आयु में नाजियों ने उन्हें जासूसी के आरोप में बंदी बना लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी।
- ब्रिटेन में नूर इनायत खान को 1949 में मरणोपरांत जार्ज क्रास से सम्मानित किया गया था।

04 आकाशगंगा व एस्ट्रोसैट (AstroSat)

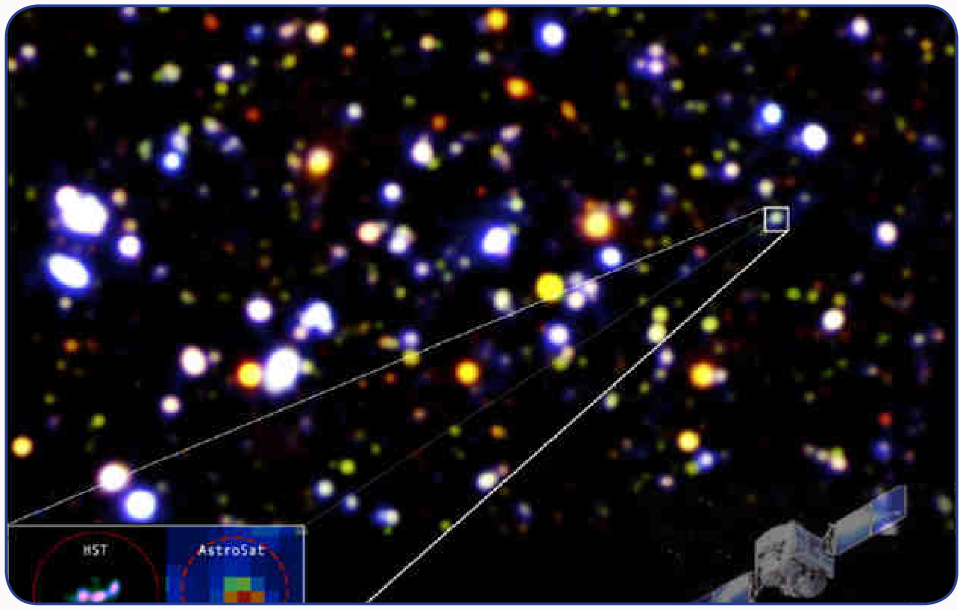

चर्चा में क्यों

- हाल ही में अंतरिक्ष मिशनों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है।

प्रमुख बिन्दु

- भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा 'एयूडीएफएस 01' से अत्यधिक-यूवी प्रकाश का पता लगाया है।
- एयूडीएफएस01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे खगोलविदों ने की थी।
- इससे प्रकट होता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच चुकी है।

.लाभ

- यह खोज इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधकार के युग कैसे समाप्त हुए।
- इसके अतिरिक्त , इससे ब्रह्मांड में प्रकाश के सबसे शुरुआती स्रोतों को खोजना भी मुमकिन हो पाएगा।

एस्ट्रोसैट (AstroSat)

- एस्ट्रोसैट, भारत की पहली समर्पित बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला या दूरबीन (multi-wavelength space Observatory or telescope) है।
- यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत समझने का प्रयास है।
- एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर, 2015 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- एस्ट्रोसैट को एस्ट्रोसैट -1 भी कहा जाता है।
- एस्ट्रोसैट ऑप्टिकल, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के एक्स-रे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है, जबकि अधिकांश अन्य वैज्ञानिक उपग्रह तरंगदैर्घ्य बैंड के सीमित दायरे के अवलोकन के लिए सक्षम हैं। एस्ट्रोसैट की बहु तरंगदैर्घ्य अवलोकनों को आगे समन्वित अन्य अंतरिक्ष यान और भू आधारित अवलोकनों का उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। सभी प्रमुख खगोल विज्ञान संस्थान और भारत में कुछ विश्वविद्यालय इन अवलोकनों में भाग लेते हैं।

एस्ट्रोसैट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य

- न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल युक्त द्विआधारी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
- न्यूट्रॉन तारे का चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना।
- हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित स्टार जन्म क्षेत्रों और स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
- आकाश में नए अल्पावधि उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना।
- पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित गहण क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।

एस्ट्रोसैट -2

- एस्ट्रोसैट-2, वर्तमान एस्ट्रोसैट-1 वेधशाला के उत्तराधिकारी के रूप में इसरो द्वारा प्रस्तावित भारत का दूसरा समर्पित मल्टी-वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है।

05 आठ कोर उद्योगों का सूचकांक

चर्चा में क्यों

- हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने जुलाई, 2020 के लिए आठ कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया है।
- देश के इन 8 सबसे प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में जुलाई में 9.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख तथ्य

- जुलाई में मुख्य रूप से स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट सेक्टर में गिरावट के कारण कोर सेक्टर में गिरावट आई है। जुलाई में फर्टिलाइजर्स को छोड़कर बाकी सभी 7 सेक्टरों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है।

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी जुलाई 2019 में इन 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 2.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल जुलाई में लगातार पांचवें महीने कोर सेक्टर का उत्पादन गिरा है।

आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का प्रदर्शन

- जुलाई में आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का प्रदर्शन निम्नलिखित प्रकार रहा है-
  - कोयला : -5.7%
  - कच्चा तेल : -4.9
  - प्राकृतिक गैस : -10.2%
  - रिफाइनरी प्रोडक्ट्स : -13.9%
  - फर्टिलाइजर्स : +6.9%
  - स्टील : -16.5%
  - सीमेंट : -13.5%
  - बिजली : -2.3%
  - व संपूर्ण कोर सेक्टर : -9.6%

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर प्रभाव

- आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोर सेक्टर के उत्पादन में 9.6 फीसदी गिरावट को इस बात का संकेत माना जा सकता है कि जुलाई के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़े भी काफी खराब आ सकते हैं। क्योंकि कोर सेक्टर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 40.27 फीसदी योगदान होता है।
- गौरतलब है कि आईआईपी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है अर्थात आईआईपी, एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है। इसके आकलन के लिये आधार वर्ष '2011-2012' है।
- आईआईपी का संकलन मासिक आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मिलकर किया जाता है।
- आईआईपी में आठ कोर उद्योग का भारांश घटते के क्रम में निम्न प्रकार से है: रिफाइनरी उत्पादझ विद्युत इस्पात कोयलाझ कच्चा तेलझ प्राकृतिक गैसझ सीमेंट उर्वरक।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सरकारी एजेंसियों व संगठनों द्वारा सार्वजनिक नीति-निर्माण में किया जाता है।

06 गोद लेने और उसका संरक्षक बनने की प्रक्रिया

चर्चा में क्यों

- हाल ही में किसी को गोद लेने और उसका संरक्षक बनने की कानूनी प्रक्रिया में शामिल विसंगतियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
- इसमें मांग की गई है कि गोद लेने की प्रक्रिया सभी नागरिकों के लिए एक समान की जाए।
- याचिका में विधि आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह तीन महीने के अंदर "गोद लेने और संरक्षण संबंधी समान आधार" पर एक रिपोर्ट तैयार करे और ऐसा करने के दौरान वह कानून और अंतरराष्ट्रीय संधियों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को ध्यान में रखे।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि गोद लेना और संरक्षण प्राप्त करना इंसानी जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण और अहम पहलू है लेकिन आजादी के 73 सालों बाद भी भारत में लैंगिक समानता और धार्मिक समानता वाला कोई ऐसा कानून गोद और संरक्षण संबंधी नहीं है जो सभी नागरिकों के लिये एक समान हो।

विसंगतियाँ

- याचिकाकर्ता का कहना है कि गोद लेने की वर्तमान प्रक्रिया भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि हिंदुओं में गोद लेने के लिये संहिताबद्ध कानून है लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों में ऐसा नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हिंदूओं के लिए कानून में गोद लिए गए बच्चे को प्रतिपाल्य की संपत्ति में अधिकारी बनाया गया है; लेकिन मुस्लिम, ईसाई या पारसियों में गोद लिए गए बच्चे को इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है।
- हिंदू द्वारा गोद लिया गया बच्चा कानूनी वारिस बन सकता है जबकि ईसाइयों, मुसलमानों और पारसियों द्वारा गोद लिया गया नहीं।
- हिंदुओं द्वारा अपनाया गया बच्चा दत्तक माता-पिता के एक जैविक बच्चे के बराबर है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी में ऐसा नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 का उल्लंघन

- याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गोद लेने और संरक्षक बनने के भेदभावपूर्ण तरीके को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 का उल्लंघन घोषित करने की मांग की है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारतीयों में भेदभाव का निषेध करता है और अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्राता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

हिंदुओं में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया

- भारत में हिन्दू लोग हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के तहत किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत हिंदुओं के अलावा जैन, बौद्ध और सिख भी आते हैं।
- 2015 में भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन भी किए थे।
- देश की अनेक राज्य सरकारों ने इसके प्रावधानों के अनुसार कानून व नियम बनाए हैं।

मुस्लिम, ईसाई और पारसी में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया

- मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी पर 1956 का अधिनियम लागू नहीं होता है, उनके लिए अलग कानून है।
- मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के अपने निजी कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा इस तरह के मामलों का नियमन होता है।
- इस समुदाय के दंपत्ति संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act 1890) के तहत किसी बच्चे को अपनाकर उसके संरक्षक बन सकते हैं। परंतु वे माता-पिता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चे के अठारह वर्ष का होने पर संरक्षक की भूमिका भी स्वत: समाप्त हो जाती है।
- सभी मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों के लिए एक सामान्य कानून नहीं होने के कारण, ये लोग गोद लेने से संबन्धित मामलों में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं।
- मुस्लिम, ईसाई और पारसी उक्त अधिनियम (1890 के अधिनियम) के अंतर्गत केवल पालक फोस्टर केयर (foster care) के तहत एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। एक बार फोस्टर केयर के तहत एक बच्चा वयस्क हो जाता है, तो वह चाहे तो अपने सभी संबंधों को दत्तक माता-पिता से तोड़ सकता है।

सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी

- भारत सरकार द्वारा गोद से संबन्धित मामले को देखने हेतु 'सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी '(कारा) नामक की संस्था की स्थापना की गयी है।
- कारा , महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

गोद लेने से संबन्धित सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का निर्णय

- वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख) अधिनियम 2000 में, वर्ष 2006 में किए गए संशोधनों की व्याख्या की थी। इसी आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बच्चा गोद लेने का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को बच्चा गोद लेने से रोक नहीं सकता और व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के कारण किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता ऐसा करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहें तो वे अपने पर्सनल लॉ की मान्यता का पालन करें। हालांकि, गोद लेने को मौलिक अधिकार की मान्यता नहीं दी गई है।

07 जीडीपी के आंकड़े

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने मौजूदा वित्त वर्ष (2020-21) की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किये हैं।
- भारत में वर्ष 1996 में जीडीपी के तिमाही आंकड़े जारी होना शुरू हुए थे। तब से लेकर अब तक यह देश की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। साथ ही यह एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से भी सबसे अधिक गिरावट है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल,2020 से जून, 2020 तक) में जीडीपी में 23.9 फीसद की नकारात्मक वृद्धि दर (negative growth rate) दर्ज की गई है। इसकी तुलना में पिछली तिमाही में जीडीपी में 3.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2019-20 की समान तिमाही में 5.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
- जीडीपी के आंकड़ों में यह गिरावट इसलिए है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रही थीं। कड़े देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान तो सिर्फ आवश्यक सामानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं।
- आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सकल मूल्य वर्धन (GVA) '-39.3' फीसदी रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यह '-50.3' फीसदी रहा है। बिजली क्षेत्र में यह '-7' फीसदी है। उद्योग में सकल मूल्य वर्धन '-38.1' फीसदी और सर्विस सेक्टर में '-20.6 'फीसदी रहा है।
- आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45 फीसदी का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है।

जीडीपी

- किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय-सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहते हैं।
- यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है।
- इसकी गणना आमतौर पर वार्षिक होती है, लेकिन भारत में इसे हर तीन महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग-अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया.
- जीडीपी दो तरह की होती है- नॉमिनल और रियल।
- नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है अर्थात अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपये की बढ़त हुई है और महंगाई 4 फीसदी है तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6 फीसदी ही मानी जाएगी। भारत में हर तिमाही जो आंकड़े जारी होते हैं वे रियल जीडीपी के होते हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05
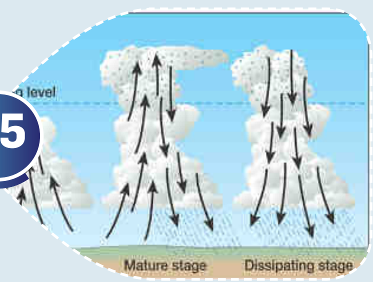

01 जैन धर्म में प्रचलित 'संथारा' प्रथा क्या है? क्या यह प्रथा आत्महत्या का एक रूप है? मूल्यांकन कीजिए

02 भारत में बेजरोजगारी दर तीव्र गति से बढ़ी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किये गये उपायों की चर्चा करें।

03 हाल ही में भारत तथा विश्व बैंक के मध्य हस्ताक्षरित "एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम" भारत के MSME क्षेत्र के विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? समीक्षा कीजिए।

04 जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान तथा सऊदी अरब के बीच दरार देखने को मिल रही है। क्या इसको भारत की राजनीतिक/कूटनीतिक जीत समझा जा सकता ? परीक्षण करें।

05 तड़ितझंझा क्या है? तड़ितझंझा की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करें।

06 भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। अर्थव्यवस्था में यह गिरावट तात्कालिक एवं विस्तारित बदलाव का संकेत हो सकता है। विश्लेषण करें।

07 "अर्बन कॉमन्स" (Urban Commors) से आप क्या समझते है? शहरी पारिस्थितिकी में इसकी भूमिका स्पष्ट करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2020 में भारत का रैंक क्या है?

48वाँ

02 कौन सा देश अंडमान सागर में भारत के साथ 'इंद्र 2020' नौसेना अभ्यास करेगा?

रूस

03 हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 'प्रमुख भूमिका' के साथ भारत-प्रशांत रणनीति शुरू की है?

जर्मनी

04 किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है?

भारत

05 किस देश को भारत के साथ ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड-2020 का सह-विजेता घोषित किया गया है?

रूस

06 किस राज्य सरकार ने आरे (Aarey) के 600 एकड़ क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है?

महाराष्ट्र

07 भारत के किस राज्य ने स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड सूचकांक मे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?

केरल

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04 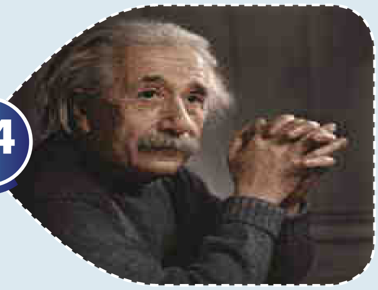

06 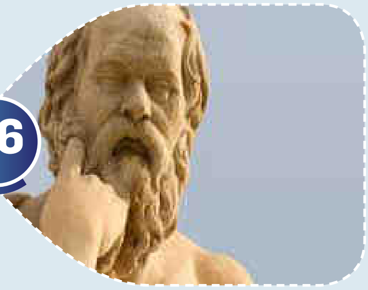

01 उम्र या युवावस्था का काल-क्रम से लेना-देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढें हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

02 सच्चा दोस्त वही हो सकता है जो उसका दुश्मन और आपका दुश्मन दोनों एक ही हो।

अब्राहम लिंकन

03 असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य, और सिद्धांत भूल जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरु

04 हर कोई जीनियस है। लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र यही सोच कर जियेगी कि वो मूर्ख है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

05 हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियो का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है।

श्री अरबिंदो

06 ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें क्यूंकि ज्ञान शाश्वत हैं और धन क्षणभंगुर।

सुकरात

07 हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जायेगा।

महात्मा गाँधी

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

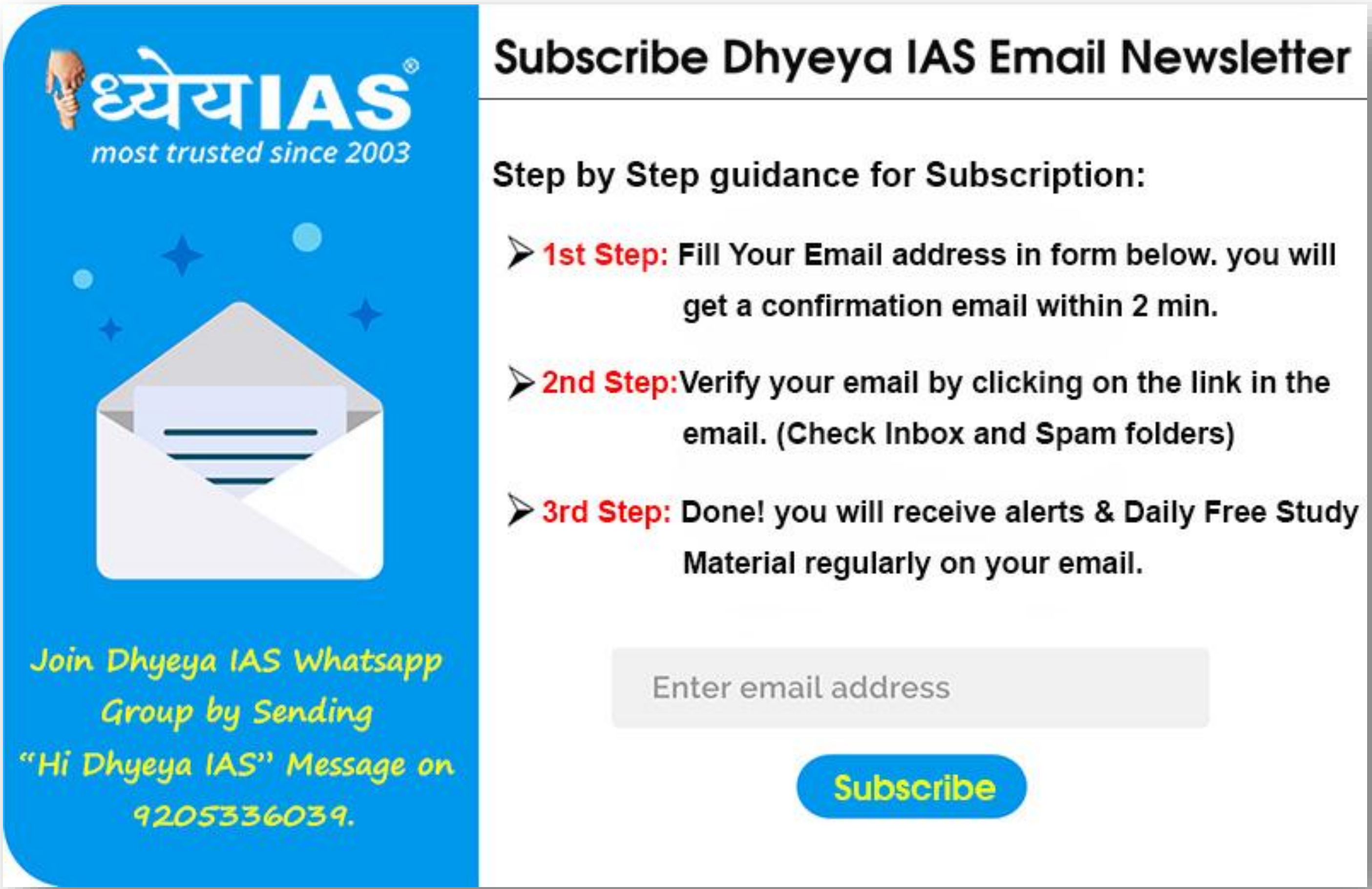

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com